डीजी-परिपत्र संख्या-14 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः मार्च 26 .2024

विषयः पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि अभिरक्षा में लिए व्यक्ति को चाहे वह जघन्यतम अपराध से ही सम्बन्धित अभियुक्त क्यों न हो, उसे सुरक्षित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पुलिस का वैधानिक दायित्व है। पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्र अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र संख्या-07/1997 दिनांक 29.03.1997
डीजी परिपत्र संख्या-15/1997 दिनांक 26.09.1997
डीजी परिपत्र संख्या-40/2009 दिनांक 13.08.2009
डीजी परिपत्र संख्या-10/2018 दिनांक 17.03.2018
डीजी परिपत्र संख्या-50/2018 दिनांक 13.09.2018
डीजी परिपत्र संख्या-28/2020 दिनांक 16.08.2020
डीजी परिपत्र संख्या-25/2021 दिनांक 31.07.2021
डीजी परिपत्र संख्या-14/2022 दिनांक 01.06.2022

इन निर्देशों के अनुपालन में उदासीनता के कुछ दृष्टान्त संज्ञान में आये हैं। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की शिकायतों से जहॉ एक ओर पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है वहीं दूसरी ओर पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा का रूप भी विकृत होता है। मानवाधिकारों की सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्ति के साथ सावधानी बरती जाये एवं गिरफ्तारी तथा हवालात में दाखिल करते समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के. बसु बनाम स्टेट आफ बंगाल में पारित निर्णय में दिये गये निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाय। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का भी अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2. आप भिज्ञ है कि वर्तमान में ऐसे दृष्टान्त आ रहे हैं कि कतिपय व्यक्तियों की Comorbidity एवं अन्य कारणों से मृत्यु हो जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति/अभियुक्त को थाने पर पूछताछ के लिए लाने से पूर्व इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि क्या वह पूर्व से किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त तो नहीं है। गम्भीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति/गिरफ्तार अभियुक्त को थाने पर कदापि न लाया जाए। यदि किन्ही कारणोंवश थाने पर लाये गये व्यक्ति/गिरफ्तार अभियुक्त आकस्मिक रूप से बीमार हो जाता है, तो इस आकस्मिकता के दृष्टिगत उसका समीप के चिकित्सालय में तत्काल उपचार कराया जाये।

3. पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरणों की प्रभावी रोकथाम हेतु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैंः-

- थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी के जानकारी के बिना थाने अथवा पुलिस चौकी में किसी व्यक्ति को न तो लाया जाये और ना ही बैठाया जाये। यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकतावश लाया जाये तो इसका समुचित अभिलेखीकरण भी तत्समय ही किया जाये।
- थाने पर यदि कोई घायल/गम्भीर अवस्था में व्यक्ति आता है तो उसे हवालात में न रखा जाये तथा उसे समीप के चिकित्सालय में ले जाकर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
- थानों पर किसी अभियुक्त/व्यक्ति से पूछतॉछ (INTERROGATION) का कार्य मनोवैज्ञानिक तरीको का प्रयोग करते हुए अत्यन्त धैर्यपूर्वक किया जाये। पूछतॉछ करते समय उतावलेपन से मारपीट किसी भी दशा में न किया जाये। पूछतॉछ जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में किया जाये। थाने के अन्दर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा पूछतॉछ का कार्य न किया जाये। पूछतॉछ आख्या तैयार की जाये। प्रत्येक पूछतॉछ थाना प्रभारी द्वारा स्वयं अथवा नामित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा की जाये।

- अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं हवालात में दाखित करते समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसू बनाम स्टेट आफ बंगाल में पारित निर्णय में दिये गये आदेश का अक्षरशः पालन किया जाये। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा समय-समय पर पारित आदशों का अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- थाना हवालात में कोई खिड़की/खूँटी नही होनी चाहिए।
- अभियुक्त के पास पहनने की अतिरिक्त कोई अन्य कपड़ा नही होना चाहिए।
- अभियुक्त को हवालात के अन्दर बन्द करते समय दिवसाधिकारी द्वारा उसकी भलि-भॉति जामा तलाशी लेकर यह सुनिश्चित कर ले कि अभियुक्त के पास कोई डोरी, रस्सी, तार, गमछा, नुकीली वस्तु, ब्लेड, माचिस, नशीला पदार्थ, ड्रग्स आदि नही होना चाहिए, जो आत्महत्या में सहायक हो।
- हवालात के अन्दर बिजली के तार न हो। पानी सप्लाई के पाइप बन्दी के पहुँच के बाहर हो। पानी की टोटी नुकीली न हो।
- संतरी डियूटी लगाते समय उनको थानाध्यक्ष/हेड मोहर्रिर द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में भलि-भॉति ब्रीफ कर दिया जाये। संतरी डियूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मी को निर्देशित कर दिया जाय कि वह हवालात में बन्द अभियुक्त पर हर समय सर्तक दृष्टि बनाये रखें।
- क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पुरूष/महिला अवैधानिक रूप से हिरासत में न हो। अधिकारियों द्वारा थानों व चौकियों के प्रत्येक निरीक्षण आख्या में इसे अनिवार्यतः अंकित किया जाये।
- यदि हवालात में मौजूद अभियुक्त की हालत खराब हो जाये या मरणासन्न हो जाये, तो उसे तुरन्त चिकित्सालय ले जाया जाये। यथा सम्भव इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी करा ली जाये तथा अभियुक्त की किसी भी दशा में चिकित्सा में विलम्ब न किया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की सूचना 24 घण्टों के अन्दर मानवाधिकार आयोग को प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाये एवं चिकित्सक द्वारा शव का परीक्षण/पोस्टमार्टम कराते हुए वीडियोंग्राफी अवश्य करायी जाये तथा वीडियोग्राफी की सी0डी0 को अवलोकन हेतु मानवाधिकार आयोग को भी प्रेषित की जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में दं0प्र0सं0 की धारा 176 के प्राविधानों के अनुसार मजिस्ट्रीरियल जॉच के आदेश निर्गत किये जाय तथा जॉच के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय बनाया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत किये गये अभियोगों की विवेचना पूरी निष्पक्षता से करायी जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरणों में समयान्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को पोस्टमार्टम रिर्पोट, न्यायिक मजिस्ट्रीरियल जॉच रिर्पोट आदि भेजी जाये तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा पोस्टमार्टम के तत्काल बाद शीघ्रता से अधिकतम् एक सप्ताह के अन्दर विसरा परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-एम-67(1)/16-म-1-09-38(विविध)2009 दिनांक 19.01.2010 एवं मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी-म0-प्र0(निर्देश)/2010 दिनांक 09.02.2010 द्वारा निर्गत निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में घटित मृत्यु की घटना में संलिप्त/दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में विधिक कार्यवाही के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से विभागीय जॉच सम्पादित की जाये। विभागीय जॉच में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से तथ्यांकित किया जाये, जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई है।

4. उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त भी अन्य परिस्थितियों का स्वविवेक से परीक्षण करते हुए समुचित कार्यवाही की जाये, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

5. मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं को आप गहनता से अध्ययन कर लें तथा इस सम्बन्ध में जनपद में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विस्तार से अवगत कराते हुए सर्तक कर दे कि वह अपने दायित्व के निर्वाहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता तथा शिथिलता न बरते। उपरोक्त निर्देशों का उच्चाधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाये। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर दण्डित कराया जाये, जिससे कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

भवदीय

26.3.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।